आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

आर0ई0 वाद सं0– 03/2008–09

आवेदक– विरनजी कहार

बनाम

विपक्षी– सीमा ठाकुराईन

आदेश

14.08.2019

आवेदक विरनजी कहार, पिता– स्व0 फेकु कहार, सा0– बाबुपुर, थाना– राजमहल, जिला– साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर विपक्षीगण को आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं। आवेदक के आवेदन पत्र के अवलोकनोपरांत विपक्षीगण को नोटिश निर्गत कर विपक्षी से कारण पृच्छा की माँग की गई एवं अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकवा
बड़ा दुर्गापुर	05	805	00–02–02

आज उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि तालझारी थाना अंतर्गत मौजा बड़ा दुर्गापुर के जमाबंदी नं0– 05, दाग नं0– 805, रकवा 02 कट्ठा 02 धूर जमीन जिसमें मिट्टी–टाली एवं चारों तरफ बरामदा का मकान आवेदक के मृत दादी मसोमात कबुतरी, पति– स्व0 रामधनी कहार के नाम से खतियान में दर्ज है। जिसका लगान आवेदक देते हैं। आवेदक विरनजी कहार मजदूरी करने के लिए वर्ष 2007 के जनवरी महीना में आसनसोल (बंगाल) गया था। ज बवह एक साल के बाद घर आया तो देखा कि विपक्षीगण सीमा ठाकुराईन और ताला हेम्ब्रम के द्वारा उक्त मकान में घुसकर शराब बेचने का धंधा करता है। आवेदक विरनजी कहार विपक्षीगण को बोला कि क्यों हमारे मकान में घुसकर शराब बेचने का धंधा करते हो, तुम लोग हमारे मकान से निकल जाओ, तो विपक्षीगण ने आवेदक को जान मारने की धमकी दिये और कहा कि यहाँ से भाग जाओ नही तो हसुआ से काट देंगे। विपक्षीगण ने कहा कि हमलोग मकान नहीं छोडेंगे, आपका जो इच्छा है वैसा करो। उक्त दोनों विपक्षीगण सीमा ठाकुराईन एवं ताला हेम्ब्रम बदमाश एवं गुण्डा प्रवृति का आदमी है। दोनों विपक्षीगण असामाजिक तत्व से सांठ–गांठ कर आवेदक को जान मारने तथा झुठा फौजदारी मुकदमा में फसाने की धमकी देते रहता है।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने विपक्षीगण को उक्त मकान से उच्छेद करने का अनुरोध किये हैं।

पुकार पर विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षीगण ने इस वाद में अपना पक्ष रखना उचित नहीं समझा है और न ही कारण पृच्छा या किसी भी प्रकार का कोई कागजात न्यायालय में समर्पित किये हैं।

अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 440/रा0, दिनांक 02.12.2008 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा बड़ा दुर्गापुर, थाना नं0– 34, जमाबंदी नं0– 05, दाग नं0– 805, रकवा 12 कट्ठा 02 धूर जमीन किस्म बाड़ी आवास गत सर्वे पर्चा में मो0 कबुतरी जौजे राम देवी कहार, कौम कहार, सा0– दे हके नाम से दर्ज है। उक्त पर्चा में कुल छः दागों का कुल रकवा 04 बीघा 17 कट्ठा 06 धूर है एवं मौजा प्रधानी है। स्थानीय पुछताछ में उपस्थित सुफल हॉसदा, पिता– स्व0 दुला हॉसदा, सा0– बड़ा दुर्गापुर एवं मोजा के वर्तमान चौकीदार बुझारत तुरी ने बताया कि पर्चाधारी रैयत से आवेदक एवं विपक्षियों का कोई संबंध नहीं है और न ही रिश्ता में कोई लगेगा। आवेदक जाति का तांती है। विपक्षी नं0– 02 ताला हेम्ब्रम, पिता– सीदो हेम्ब्रम इस अंचल के बागजोरी ग्राम के निवासी है। पुछताछ में यह भी पता चला कि विपक्षी की मां जो मर चुकी है, एक मारवाडी के साथ शादी की थी तथा पर्चावाली कहार की जमीन में उक्त मारवाडी ने घर बनाया था, जो

Scanned with CamScanner

अवैध था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत द्वितीय पक्ष का कब्जा वैध नहीं है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(5) के अंतर्गत विपक्षी को उक्त वर्णित जमीन से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, तालझारी को निदेश दिया जाता है कि फौती/फरारी के विषय में प्रतिवेदित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

Scanned with CamScanner